In the Court of Circle Officer, Deoghar

Date of filing of petition 24/8/03 | Date of Ripy 333/2003-04 24/8/03 | Date of Issuing of 22/9/03

c/c of order dated 20/9/03.

आदेश

20/8/03 आवेदन अवलोकित। प्रस्तुत वाद आवेदक/आवेदिका श्री दिलीप कुमार नेगी पिता/पति स्व० गौरी शंकर नेगी सा० कास्टर टाउन थाना देवघर जिला देवघर द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक मौजा देवसंघ थाना सं० 413 जमाबंदी संख्या 149/3311 T.P. 850 रकबा 14040' वर्गफीट का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से स्थानीय एवं राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात लोगों से आपत्ति हेतु को आपत्ति दाखिल करने हेतु सूचना ... की गयी। जिसका तामिला अभिलेख में है। निर्धारित अवधि के अन्दर किसी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबंधित केवाला सं० 8470 दिनांक 12/11/93 द्वारा प्राप्त कर शांति पूर्ण दखलकार है। विषयगत जमीन ... की है, तथा भूदान सीलिंग एवं भू हदबंदी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का अनुशंसा निबंधित केवाला, शांति पूर्ण दखल कब्जा एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा देवसंघ थाना सं० 413 जमा० 149/3311 दाग नं० T.P. 850 रकबा 14040' वर्गफीट का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका दिलीप कुमार नेगी पिता स्व० गौरी शंकर नेगी सा० कास्टर टाउन देवघर थाना देवघर जिला देवघर के नाम से स्वीकृत की जाती है। अनुमोदित लगान 15.00 रु० आगामी वर्ष से देय होगा। आवेदक से 2.50 रु० नामान्तरण शुल्क प्राप्त करें। कार्यालय सहायक शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को सूचित कराये।

टंकित कराया एवं शुद्ध किया

अंचल अधिकारी
देवघर

अंचल अधिकारी
देवघर

ATTESTED 16.7.21
NOTARY REGD. NO.-225
GOVT. OF JHARKHAND
Deoghar Jharkhand/India

सत्य प्रतिलिपि
12-8-03
प्रधान लिपिक
अंचल कार्यालय, देवघर
1872 के अधिनियम 1 की धारा 76 के अन्दर अधिकृत।